बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0:– 12/अ0प्र0–08–37/2024 486 /पटना, दिनांक 31/12/24

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत समान पदनाम से आने वाले लिफाफा बंद डाक की प्राप्ति (Receiving) में होने वाली समस्याओं का निराकरण, विभाग में प्राप्त होने वाले पत्रों के बेहतर तरीके से संधारण, पत्रों को संबंधित कोषांग/नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा को त्वरित गति से वितरण, पत्रों की Tracking तथा पत्रों के त्वरित निष्पादन के उद्धेश्य से विभाग अन्तर्गत केन्द्रीयकृत डाक प्राप्ति कोषांग का गठन किया जाता है।

2. केन्द्रीयकृत डाक प्राप्ति कोषांग के अस्तित्व के आने के उपरान्त प्रथम चरण में विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से आने वाले सभी प्रकार के डाक यथा लिफाफा बंद डाक/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/पत्र आदि की प्राप्ति, डायरी एवं Scanning का कार्य उक्त कोषांग द्वारा किया जायेगा।

3. लेखा प्रशाखा द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से पत्रों की प्राप्ति, संधारण/कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था किये जाने हेतु कम्प्यूटर उपस्कर आदि की व्यवस्था की जायेगी।

4. उक्त कोषांग के सूचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु प्रशाखा–01 द्वारा आवश्यकतानुसार मानव बल (लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं परिचारी) का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

5. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/- 31/12/2024

(इफ्तेखार अहमद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–12/अ0प्र0–08–37/2024 8572 /पटना,दिनांक– 31/12/24

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक–सह–जिला जनसंपर्क पदाधिकारी/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी संबंधित/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 31/12/2024

सरकार के उप सचिव

Office Order Anupriya 2024